रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 15, 1993/चैत्र 25, 1915
No. 215] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 1993/CHAITRA 25, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1993

का. आ. 239 (अ):—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को ऐसी अधिकतम कीमत के रूप मे नियत करती है जिस

पर उसके स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में निर्मित प्रपुंज औषधि का विक्रय किया जाएगा ।

सारणी

क्रम सं.	प्रपुंज औषधि का नाम	अधिकतम कीमत (रु./किग्राम)
1	2	3
'1.	एरिथ्रोमाईसिन बेस	4050.00"

[सं. 25(5)/92पी आई-1]
विनोद वैश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 15th April, 1993

S.O.239(E):—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby fixes the price as specified in column (3) of the table below as the maximum price at which the indigenously manufactured bulk drug specified in the corresponding entry in column (2) thereof shall be sold.

TABLE

Sl.No.	Name of the Bulk Drug	Maximum Price (Rs./Kg.)
1	2	3
"1.	Erythromycin Base	4050.00"

[No.25(5)/92—PI.I]
VINOD VAISH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993